सुरक्षित और स्वीकार्य स्कूल तैयार करना: माता-पिता के लिए सवीकार्य स्कूल अधिनियम (बिल 13) के बारे में सूचना

हम यह जानते हैं कि एक सुरक्षित, समावेशी और स्वीकार्य स्कूल छात्र की उपलब्धि और कल्याण के लिए आवश्यक है।

इसी कारण से सरकार ने बिल 13, स्वीकार्य स्कूल अधिनियम प्रस्तुत किया है, जो अब एक कानून के तौर पर पारित किया गया है।

बिल 13 क्या है?

बिल 13 के तहत स्कूल बोर्डों के लिए आवश्यक होता है कि वे हमारे स्कूलों में छात्रों द्वारा अनुचित और असम्मानजनक व्यवहार को रोकें और उससे निपटें। इनमें गुण्डागर्दी, पक्षपात और परेशान करना जैसे व्यवहार शामिल हैं। नया कानून स्पष्ट तौर पर हमारे स्कूलों में ऐसे व्यवहारों को अस्वीकार्य बताता है। यह कानून सभी छात्रों के सम्मान और उन्हें समझने को प्रोत्साहित करता है चाहे वे किसी भी जाति, लिंग, लैंगिक अभिरुचि, अक्षमता या अन्य कारकों से संबंध रखते हों।

बिल 13, गुण्डागर्दी सहित अन्य अनुचित व्यवहार की रोकथाम और उनसे निपटने में स्कूलों और बोर्डों की मदद कैसे करता है?

यह स्कूल बोर्डों और स्कूलों द्वारा पहले से किए गए कार्य के आधार पर बना है। बिल 13 के तहत बोर्डों के लिए आवश्यक है कि:

- उनके पास प्रगतिशील अनुशासन, गुण्डागर्दी की रोकथाम और हस्तक्षेप, और निष्पक्षता और समोवशी शिक्षा के बारे में नीतियाँ तैयार हों।
- अन्य छात्रों से गुण्डागर्दी करने वाले छात्रों के लिए कठोर परिणामों पर विचार करें। इसमें निलंबित किए जाने और निष्कासन पर विचार किया जा सकता है,यदि:
  - गुण्डागर्दी करने वाले छात्र को पहले ही निलंबित किया जा चुका है और स्कूल में उस छात्र की उपस्थिति दूसरे छात्रों की सुरक्षा के लिए अवांछनीय जोखिम उत्पन्न करती है, या
  - यह गुण्डागर्दी पूर्वाग्रह, घृणा या द्वेष से प्रेरित थी।

  इस शिक्षा कानून के तहत पहले से निलंबित और निष्कासित छात्रों को सहायता देना आवश्यक है:
  - यदि छात्रों को निष्कासित या लंबी अवधि के लिए निलंबित किया जाता है (पांच कार्य-दिवस से अधिक), तो उन्हें निलंबन/निष्कासन कार्यक्रम के जरिए शैक्षणिक/गैर-शैक्षणिक सहायता दी जाएगी। पांच स्कूल दिवसों तक के लिए निलंबित किए गए छात्रों को एक होमवर्क पैकेज दिया जाएगा।
- गुण्डागर्दी की रोकथाम और सकारात्मक स्कूल परिवेशों के बारे में वार्षिक आधार पर अध्यापकों और अन्य स्कूल कर्मचारियों को प्रशिक्षण और सूचना प्रदान करना।
- बहु-वर्षीय योजनाओं में सकारात्मक स्कूल परिवेश और गुण्डागर्दी की रोकथाम संबंधी लक्ष्यों को शामिल करना और ये योजनाएं सार्वजनिक करना।

क्या बिल 13, प्रधानाचार्यों (प्रिंसिपलों) की भूमिका में बदलाव लाता है?

- यह बिल प्रधानाचार्यों को नई, विशिष्ट जिम्मेदारियाँ देता है। अब उनके लिए अनिवार्य है कि वे:
  - बोर्ड कर्मचारी द्वारा सूचित किसी भी घटना की जांच करें, इसमें गुण्डागर्दी भी शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप किसी छात्र को निलंबित या निष्कासित किया जा सकता हो।
  - जब किसी छात्र/छात्रों के व्यवहार के कारण उसे/उन्हें निलंबित या निष्कासित किया जा रहा हो, तो उन छात्रों के माता-पिता/अभिभावकों को घटना की सूचना दें जिन्होंने दूसरे छात्र को नुकसान पहुंचाया है। माता-पिता को उस समर्थन पर चर्चा के लिए भी बुलाएं जो उनके बच्चे को प्रदान किया जाएगा।
  - उस घटना में जिस छात्र को नुकसान पहुंचा हो उसके माता-पिता/अभिभावकों को उस सहायता के बारे में चर्चा के लिए बुलाएं जो उनके बच्चे को प्रदान की जाएगी। प्रधानाचार्यों के लिए पहले से आवश्यक था कि वे इन अभिभावकों को सूचित करें।
  - अध्यापकों तथा जहां उपयुक्त हो, अन्य बोर्ड कर्मियों से बातचीत करें, जिन्होंने उस घटना की सूचना दी थी जिसके कारण एक छात्र को निलंबित या निष्कासित किया जा सकता है। प्रधानाचार्यों को उस घटना से संबंधित अपनी जांच-पड़ताल के परिणामों के बारे में उन्हें सूचित करना होगा।

बिल 13 किस प्रकार अभिभावकों, छात्रों और अन्य स्टाफ एवं साझेदारों को शामिल करने में बोर्डों और स्कूलों की सहायता करता है?

इस बिल से माता-पिता को यह जानने में मदद मिलती है कि स्कूल के जरिए उनके बच्चे के लिए क्या सहायता उपलब्ध है और स्कूल एक अधिक सकारात्मक स्कूल परिवेश के निर्माण के लिए क्या प्रयास कर रहा है।

ISBN 978-1-4606-1139-5 (PDF) (Hindi) © ऑंटारियो के लिए क्वीन्स प्रिंटर, 2013

Ontario

बोर्डों के लिए आवश्यक है कि वे:

- यदि माता-पिता उनके बच्चे को मिल रही सहायता के बारे में चिंतित हैं तो ऐसी प्रक्रिया तैयार करें जिससे उन्हें नवीनतम जानकारी मिलती रहे।
- ऐसी प्रक्रिया विकसित करें जिसमें छात्र, माता-पिता तथा अन्य लोग गुण्डागर्दी की घटनाओं की सूचना सुरक्षित ढंग से दे सकें।
- दो वर्ष में कम से कम एक बार स्टाफ, छात्रों और माता-पिता के बीच स्कूल के परिवेश संबंधी सर्वेक्षण करें।
- माता-पिता को छात्र की सुरक्षा और स्कूल के परिवेश के बारे में जानने के अधिक अवसर प्रदान करें।

बिल 13 छात्रों की सहायता कैसे करता है?

बिल 13 के तहत आवश्यक है कि:

- स्कूल, अनुचित व्यवहार में संलिप्त या अनुचित व्यवहार से प्रभावित हुए छात्रों को सहायता प्रदान करें।
- स्कूलों को चाहिए कि वे पीड़ित और गुण्डागर्दी करने वाले छात्र दोनों के लिए, और घटना के साक्षियों के लिए कार्यक्रम, बीच-बचाव या अन्य सहायता प्रदान करें।
- स्कूल छात्रों को सुरक्षित ढंग से गुण्डागर्दी की घटनाओं की सूचना देने का तरीका उपलब्ध कराएं।
- बोर्डों और स्कूलों को अनुमति देनी होगी कि छात्र अपने स्कूल में समूह बना सकें जिनके जरिए वे सभी छात्रों में जागरूकता और समझदारी का प्रसार कर सकें, जिनमें ये विषय भी शामिल हैं:
  - जाति-विरोध;
  - विकलांग लोग;
  - लैंगिक समानता;
  - लैंगिक अभिरुचि, लैंगिक पहचान। इन समूहों में Gay-Straight Alliances (GSAs) भी शामिल हो सकते हैं।

बोर्ड और प्रधानाचार्य छात्रों को इन समूहों के लिए GSA या किसी अन्य नाम का उपयोग करने से नहीं रोक सकेंगे।

छात्र अपने स्कूल की जरूरतों के आधार पर अन्य प्रकार के समूह भी बना सकते हैं।

- छात्रों की अगुवाई वाले समूह का नाम ऐसा होना चाहिए जिससे सभी छात्रों के लिए समावेशी और स्वीकार्य सकारात्मक स्कूल परिवेश को बढ़ावा देने में मदद मिले।

बिल 13, पब्लिक स्कूलों में किराए पर जगह लेने वाले संस्थानों को कैसे प्रभावित करता है?

बिल 13 के तहत, स्पोर्ट्स लीग और कम्युनिटी ग्रुप्स जैसे तृतीय पक्षों के लिए पब्लिक स्कूलों में जगह का उपयोग करते समय व्यवहार के उन मानकों का पालन करना आवश्यक होता है जो प्रोविंशल कोड ऑफ कंडक्ट (प्रांतीय आचार-संहिता) के अनुरूप हों। यह आचार-संहिता सुनिश्चित करती है कि स्कूल समुदाय के सभी सदस्यों के साथ आदर एवं गरिमापूर्ण व्यवहार करती है तथा इस संहिता का पालन कई वर्षों से किया जा रहा है।

एक "संपूर्ण स्कूल दृष्टिकोण" स्कूलों को सीखने का बेहतर स्थान कैसे बनाता है?

सकारात्मक और समावेशी स्कूल परिवेश का निर्माण करने के लिए पूरे स्कूल और समुदाय में स्वस्थ एवं सम्मानपूर्ण संबंधों पर आधारित ''संपूर्ण स्कूल दृष्टिकोण'' की आवश्यकता होती है।

सुरक्षित, समावेशी और स्वीकार्य स्कूल कक्षा और उससे बाहर भी अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करने में छात्रों का समर्थन करते हैं। सुरक्षित, समावेशी और स्वीकार्य स्कूल का लक्ष्य हासिल करने में सरकार, स्कूल के बोर्डों, स्कूल स्टाफ, माता-पिता, छात्रों और समुदाय के सदस्यों सहित कर्मचारियों, विद्यार्थियों, माता-पिता व समुदाय के सदस्यों सहित हर एक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

हम सब मिलकर ऐसे सकारात्मक स्कूल परिवेशों का निर्माण कर सकते हैं जो सभी छात्रों को सीखने और फलने-फूलने में मदद करें।

बिल 13 एक व्यापक कार्य-योजना का हिस्सा है

यह विधेयक समान और समावेशी शिक्षा तथा सुरक्षित स्कूल की हमारी कार्यनीतियों पर आधारित है। यह विधेयक एक बड़ी कार्य योजना का हिस्सा है जिसमें शामिल है:

- स्कूलों में अधिक मानसिक स्वास्थ्यकर्मियों की तैनाती और ग्रामीण एवं दूरदराज के समुदायों के बच्चों के लिए मनोचिकित्सक के साथ वीडियो परामर्श सेवाएं।
- ओंटारियो करिकुलम काउंसिल की अनुशंसाओं पर बने पाठ्यचर्या (करिकुलम) की पूरी अवधि के दौरान अधिक निष्पक्ष और समावेशी शिक्षा सिद्धांतों तथा गुण्डागर्दी रोकथाम रणनीतियों को शामिल करने के तरीके ढूंढना।
- गुण्डागर्दी रोकने में सभी ओंटारियो वासियों की भूमिका है, इस पर ज़ोर देने के लिए एक जन-जागरूकता अभियान चलाना।
- गुण्डागर्दी पर रोकथाम और हस्तक्षेप सहित, संपूर्ण स्कूल दृष्टिकोण पर केंद्रित संसाधनों और आचरणों के बारे में सलाह देने के लिए स्वीकार्य स्कूल विशेषज्ञ पैनल गठित करना।

क्या कुछ और प्रश्न है?

माता-पिता ओंटारियो के बारे में ऑनलाइन और भी अधिक जान सकते हैं:

- स्वीकार्य स्कूलों के लिए कार्य-योजना के लिए www.ontario.ca/acceptingschools
- सुरक्षित स्कूल कार्यनीति के लिए www.edu.gov.on.ca/eng/parents/safekit.html
- निष्पक्ष और समावेशी शिक्षा कार्यनीति के लिए www.edu.gov.on.ca/eng/policyfunding/equity.html
- प्रांतीय आचार-संहिता के लिए www.edu.gov.on.ca/eng/safeschools/standards.html